ग/निग०/रीवा/2018/0762

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, (म0प्र0)

अंजनी मिश्रा पिता श्री हीरामणि मिश्रा, निवासी ग्राम मोहरबा, तह0 सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0

——————निगरानीकर्ता

बनाम

अभयराज मिश्रा पिता श्री शेषमणि मिश्रा निवासी मोहरबा, तह0 सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0

————गैरनिगरानीकर्ता

अधि० श्री छत्रसाल शर्मा द्वारा पेश/30-01-18

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल शाहपुर, के आदेश दिनांक 19.08.2017 बावत् आराजी खसरा कमांक 405/1, 405/3 एवं 423 स्थित ग्राम मोहरबा, तह0 सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

यह कि गैरनिगरानीकर्ता अभयराज मिश्रा द्वारा अपनी भूमि कमांक 405/1, 405/3, 407/1ख का सीमांकन किये जाने हेतु भू–अभिलेख अधीक्षक रीवा को आवेदन पत्र प्रस्तुंत किया व भू–अभिलेख अधीक्षक द्वारा सीमांकन कर राजस्व निरीक्षक को प्रमाणीकरण हेतु प्रस्ताव व नक्शा पंचनामा सहित समस्त दस्तावेज भेजा। जिसकी कोई जानकारी निगरानीकर्ता को नही दी गई, इस कारण निगरानीकर्ता ने राजस्व निरीक्षक के समक्ष

(55)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.. II/निग./रीवा/18/0762.... जिला.... रीवा

अजनी प्रसाद मिश्रा ....विरूद्ध .... अनूप राज मिश्रा

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री ....घनश्याम शर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त....शाहपुर तहसील....सेमरिया....के प्रकरण क्रमांक....90/अ-12/16-17 में पारित आदेश दिनांक....19.8-2017....के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर....रीवा.... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ....25-3-19.... को कलेक्टर....रीवा.... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	